न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 207 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/222)
पंजीयन दिनांक– 16.04.2021
निर्णय दिनांक– 28.12.2021

ग्रामवासियान बडोदिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ जरिये प्रतिनिधियानः–

1. श्री मोडसिंह परिहार पिता उदयसिंह राजपुत, निवासी बडोदिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ।
2. श्री त्रिलोकचंद पिता भंवरलाल तेली, निवासी बडोदिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ।
3. श्री दुर्गालाल पिता कैलाशचंद्र वैष्णव, निवासी बडोदिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ।
4. श्री गोपाल कुम्हार पिता नारायण कुम्हार, निवासी बडोदिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ।
5. श्री रामकुमार पिता भैरूलाल मीणा, निवासी बडोदिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ।

–अपीलांट

बनाम

1. श्री बाबू मोहम्मद पिता मांगीलाल मंसूरी पिंजारा, निवासी बडोदिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री धैर्यकुमार पिता उदयलाल कायस्त, निवासी भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री आलोककुमार पिता उदयलाल कायस्त, निवासी भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।

4. ग्राम पचांयत बडोदिया जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बडोदिया, पंचायत समिति भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री पी. सी. पालीवाल – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री कमलेश चौहान – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 5

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध तहसीलदार, रावतभाटा के प्रकरण संख्या
03/2014 निर्णय दिनांक 21.07.2015

निर्णय

दिनांक 28.12.2021

1. अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध तहसीलदार, रावतभाट के प्रकरण संख्या 03/2014 निर्णय दिनांक 21.07.2015 के विरूद्ध दिनांक 07.07.2019 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम के साथ न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 27.01.2021 को दर्ज की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 16.04.2021 को दर्ज की गई।

2. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 78/2013 अपील अनवानी ग्राम पंचायत बडोदिया जरिये सरपंच ग्राम पंचायत, बडोदिया बनाम श्री बाबू मोहम्मद मंसूरी में हुए निर्णय अनुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा का आदेश दिनांक 21.10.2013 खारिज किया गया तथा मूल निर्णय दिनांक 01.04.2013 को यथावत रखते हुए तहसीलदार, रावतभाटा को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया कि संपूर्ण विवेचित तथ्यों के संदर्भ में पुनः विस्तृत जांच कर नियमानुसार नामांतरकरण संबंधी कार्यवाही संपादित करें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर प्रकरण संख्या 03/2014 निर्णय दिनांक 21.07.2015 से रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम नामांतरकरण संख्या 155 स्वीकार किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 21.07.2015 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः— *"आराजी नम्बर 291 एवं 294 रकबा 0.16 एवं 3.17 कुल किता 2 रकबा 3.33 हैक्टेयर जरिये रजिस्ट्री से खातेदार श्री धैर्य कुमार, आलोक कुमार पिता उदयलाल पंचोली, निवासी भैंसरोड़गढ़ द्वारा श्री बाबू मोहम्मद मंसूरी पिता मांगीलाल मंसूरी जाति पिंजारा, निवासी बडोदिया को भूमि का बेचान किया गया है। सरपंच एवं सचिव, ग्राम पंचायत, बडोदिया द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरकरण दायर करने पर किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होना बताया। अतः विक्रय की गई भूमि में निर्मित सरकारी भवन आदि की भूमि को समर्पण के निर्देश क्रेता को देते हुए ग्राम बडोदिया के आराजी नम्बर 291 रकबा 0.16 हैक्टेयर किस्म भूमि बीड़ एवं आराजी नम्बर 294 रकबा 3.17 हैक्टेयर किस्म भूमि पेटा–2 कुल किता रकबा 3.33 हैक्टेयर भूमि का नामांतरकरण संख्या 155 क्रेता श्री बाबू मोहम्मद मंसूरी पिता मांगीलाल मंसूरी*

जाति पिंजारा, निवासी बडोदिया के नाम स्वीकार किया जाता है।"

3. उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

4. यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी. पालीवाल उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता कमलेश चौहान उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 5 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 15.12.2021 को सुनी गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा मौके की रिपोर्ट तलब की गयी। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा विवादित आराजीयात के संबंध में दिनांक 30.07.2015 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसमें आराजी नम्बर 291 में डामरीकृत सड़क व आराजी नम्बर 294 में कुछ हिस्से पर राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी भवन, सहकारी समिति भवन बना हुआ है एवं कुछ हिस्से में गोपाल, देवीलाल, मोहनलाल, लालचंद पिता नारायण, बालचंद पिता सुरजमल कुम्हार, देवीलाल पिता कालू मीणा की पत्थर की कोट व बाडे बने होना अंकित किया है। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त भूमि पेटा तालाब होकर सड़क व सरकारी भवन व आम लोगो के बाडे बने हुए है जिस पर कभी काश्त नहीं हुई है न ही आवंटी उदयलाल व आवंटी के वारिसान का कब्जा काश्त रहा है न ही क्रेता बाबू मोहम्मद का उक्त आराजीयात पर कभी कब्जा काश्त रहा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने उक्त नामांतरकरण को स्वीकृत किये जाने का आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से अपीलांट के हित प्रभावित होने से अपीलांट की ओर से अपील पेश करने की अनुज्ञा के संबंध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी के आवेदन साथ अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

6. अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रावतभाटा निर्णय दिनांक 21.07.2015 से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर उचित निर्णय पारित किया गया है, जिसे यथावत रखाया जाकर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

7. अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रावतभाटा निर्णय दिनांक 21.07.2015 से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर उचित निर्णय पारित किया गया है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

8. प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा दफा 5 मयाद अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया है कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्व जानकारी नहीं थी, उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 10.06. 2019 को हुई एवं उससे अंदर मयाद उनके द्वारा अपील प्रस्तुत कर दी गयी। ताइद में शपथ–पत्र दिया है। उक्त आवेदन का जबाब देते हुए रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा यह वर्णन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा 4 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना में नामान्तकरण भी खोला जा चुका है। अपीलाण्ट संख्या 2 से 5 तक रेस्पोंडेंट संख्या 1 की उक्त वादग्रस्त भूमि में अतिक्रमी है जिसका उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मंगवाई गयी रिपोर्ट में इनका नाम अंकित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी प्रार्थीगण को शुरू से रही है फिर भी इनके द्वारा दिनांक 10.06.2019 को उक्त निर्णय होने का कथन किया है,

लेकिन उक्त जानकारी उन्हें कब व किस प्रकार प्राप्त हुई, ऐसा कोई उल्लेख अंकित नहीं है।

9. प्रकरण में अपीलाण्ट अतिक्रमी भूमि में होना रिपोर्ट में उल्लेखित आवश्यक है परन्तु उन्हें राजस्व रेकर्ड में प्रविष्ठियों की पूर्ण जानकारी हो, इस हेतु कोई पुष्टिकारक साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं है। अतः गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु अपीलांट के अखण्डित शपथ–पत्र व न्यायहित में अपीलाण्ट का दफा 5 जाप्ता मयाद का आवेदन स्वीकार कर अपील मयाद कण्डोन की जाती है।

10. प्रकरण में जहां तक अपीलाण्ट द्वारा दफा 96 जाप्ता दीवानी के आवेदन का प्रश्न है, अपीलांट द्वारा 96 जाप्ता दीवानी के आवेदन में यह वर्णन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 तत्कालीन सरपंच, पक्षकारान विवादित आराजी में ग्राम पंचायत बड़ोदिया की ओर से पैरवी कर रहे थे लेकिन ग्राम पंचायत ने उक्त निर्णय में सहमति जाहिर की व रेस्पोंडेंट संख्या 1 के पक्ष में निर्णय पारित कर दिया, जबकि विवादित आराजीयात पेटा तालाब की भूमि होकर सार्वजनिक भूमि है व सार्वजनिक उपयोग उपभोग में आ रही है। आवंटन योग्य भूमि नहीं होते हुए विचारण न्यायालय में रेस्पोंडेंट संख्या 1 के पक्ष में नामांतरकरण स्वीकृत किये जाने के निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया जिससे अपीलांट्स के हित प्रभावित होने से अपीलांट्स की ओर से अपील प्रस्तुत है। उक्त आवेदन का जबाब रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा देते हुए वर्णन किया है कि अपील अपीलांट द्वारा अपने व्यक्तिगत हित की पूर्ति के लिए प्रस्तुत की गयी है जिसे प्रस्तुत करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। उक्त अपील ग्रामवासियान बडोदिया जरिये प्रतिनिधि प्रस्तुत की गयी है जिन प्रतिनिधियों में से प्रतिनिधि संख्या 1 मोड़सिंह परिहार बड़ोदिया गांव का निवासी ही नहीं है। उक्त मोड़सिंह गांव केलूखेड़ी का निवासी है तथा प्रतिनिधि संख्या 2 से 5 तक रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 की वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी के रूप में है, जिसका उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मंगवाई गयी

रिपोर्ट में अंकित है। इस प्रकार उक्त अपील अपने व्यक्तिगत स्वार्थ व हितों व रेस्पोंडेंट संख्या 1 को ब्लेकमेल करने की गरज से प्रस्तुत की गयी है।

11. प्रकरण में उपरोक्त दफा 96 जाप्ता दीवानी के आवेदन के संदर्भ में अपीलाण्ट द्वारा न्यायिक नजीर आर.आर.डी. 1991 पेज 369 पेश की है जिसमें दफा 96 जाप्ता दीवानी के बारे में यह वर्णन किया गया है कि ग्राम के सार्वजनिक हित का प्रश्न हो तो अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने पर भी दफा 96 जाप्ता दीवानी का आवेदन स्वीकार करना चाहिये। इसी प्रकार आर.आर. टी. 2013(1) पेज 47 प्रस्तुत की है जिसमें यह वर्णित किया गया है कि चारागाह इत्यादि सार्वजनिक हित की भूमियों में अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दी जानी चाहिये। ऐसी ही न्यायिक नजीर आर.आर.डी. 1994 पेज 491, आर.आर.डी. 1993 पेज 617 व आर.आर.डी. 1992 पेज 388(बी) व 465(बी) प्रस्तुत की है जिसमें सार्वजनिक महत्व की भूमियों की ग्रामवासियों द्वारा जो कि अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे, उन्हें पक्षकार बनाकर निर्णय किये जाने का अभिमत व्यक्त किया गया है। प्रकरण में अपीलांट संख्या 1 ग्राम बड़ोदिया का निवासी नहीं हो, यह तथ्य रेकर्ड पर नहीं है। यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलाण्ट संख्या 2 से 5 का विवादित भूमि पर अतिक्रमण है परन्तु इसके साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की रिपोर्ट में यह सुस्पष्ट रूप से वर्णित है कि आराजी नं. 291 एवं 294 में से आराजी नं. 291 की किस्म बीड़ है तथा 294 की किस्म पेटा है। आराजी नं. 291 रकबा 0.16 हैक्टेयर मौके पर पक्की डामरीकृत सड़क एवं आराजी नं. 294 रकबा 3.17 हैक्टेयर में कुछ हिस्से में पत्थर की कोट, प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी भवन, सहकारी समिति भवन एवं शेष भूमि तालाब के रूप में है। उपरोक्त तथ्यों से यह सुस्पष्ट होता है कि विवादित आराजी नं. 291 व 294 में मौके पर सड़क, सार्वजनिक भवन एवं तालाब इत्यादि स्थित है, अर्थात् भूमि सार्वजनिक हित

से निहित है। अपीलाण्ट द्वारा सार्वजनिक तथ्यों, प्राप्त रिपोर्ट के दृष्टिगत प्रकरण में निसंदेह मामला सार्वजनिक हितो का है, अतएवं अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुज्ञा दी जाती है।

12. अब हम प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि विवादित प्रकरण में पूर्व में उपखण्ड अधिकारी द्वारा विवादित नामान्तकरण के सन्दर्भ में किये गये निर्णय की अपील इस न्यायालय में अपील संख्या 78/2013 के रूप में प्रस्तुत हुई थी जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04.08.2014 को अपने निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को प्रकरण प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया था कि निर्णय में वर्णितानुसार बाद जांच निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषण के उपरान्त अपीलाण्ट द्वारा इस न्यायालय में जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, उसके अनुसार विवादित नामान्तकरण के क्रेता बाबू मोहम्मद स्वयं जो कि सरपंच था, उसके द्वारा दिये गये आवेदन के आधार पर उक्त स्वीकृत नामांतरकरण को यथावत् रख दिया है। प्रकरण में अपीलांट द्वारा जो प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, उसके अनुसार जब सरपंच के रूप में रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 बाबू मोहम्मद कार्यरत थे, उसी दौरान दिनांक 01.02.2015 व 04.02.2020 की अवधि में उनके द्वारा पंचायत द्वारा किये गये नामांतरकरण को तस्दीक किये जाने का एवं अपील में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने का कथन किये, अर्थात् जब पंचायत द्वारा किसी नामान्तकरण की अपील की गयी है तो उक्त अपील में नया सरपंच स्वयं ही क्रेता हो तो उसे स्वयं अपने प्रकरण में हितबद्ध होने के कारण इस प्रकार निर्णय करने की अधिकारिता नहीं है। वर्तमान में अपीलाण्ट द्वारा ग्राम पंचायत बड़ोदिया के पत्र दिनांक 12.11.2021 में यह भी सूचना ग्राम पंचायत द्वारा दी गयी है कि ग्राम पंचायत बड़ोदिया की अपील खारिज करवाने के संबंध में

दिनांक 01.02.2015 की बैठक में कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया है। वहीं ग्राम पंचायत के कार्यवाही वृतान्त दिनांक 13.04.2011 के द्वारा यह स्पष्ट वर्णित करते हुए कि विवादित भूमि पर तालाब पेटा है, ग्राम के सार्वजनिक भवन बने हुए है, इस कारण उक्त प्रकरण में नामांतरकरण के विरूद्ध अपील दर्ज की जावें। ग्राम पंचायत द्वारा विवादित भूमि के सार्वजनिक प्रयोग में आने के कारण अपील किये जाने का निर्णय किया गया एवं उक्त अपील में इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार को ग्राम पंचायत की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किया तथा इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय में तत्कालीन सरपंच जो कि स्वयं भूमि का क्रेता है, उसके द्वारा अपील को विड्रो किया जाना न्याय के मूलभूत सिद्धान्त (कोई भी अपने प्रकरण में न्यायाधीश नहीं हो सकता) अनुसार सरपंच द्वारा बिना ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के स्वयं अपील विड्रो कर लिया जाना निसंदेह खेदजनक है एवं इससे भी अधिक खेदजनक यह है कि तहसीलदार द्वारा तत्कालीन सरपंच जो कि स्वयं क्रेता है, उसके इस आवेदन पर अपील को सरसरी तौर पर बिना प्रतिप्रेषण आदेशों की पालना किये, स्वीकार करने एवं सिर्फ दो लाइन में यह लिख देना कि ''प्रकरण में सार्वजनिक भूमियों के समर्पण के निर्देश क्रेता को देते हुए नामांतरकरण तस्दीक किये जाने का आदेश दिया जाता है।'' अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार का उक्त निर्णय भी न सिर्फ अविधिक है अपितु खेदजनक है। तहसीलदार को जहां किसी भूमि पर सार्वजनिक प्रयोजन में भूमियां काम आ रही हैं, किसी भूमि पर सड़क बनी हुई है तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम भूमि का नक्शा नाप–जोक व सार्वजनिक भवन की अवस्थिति की स्पष्ट, पूर्ण रिपोर्ट मंगवाकर सार्वजनिक प्रयोजन में आ रही भूमियों का विधिक समर्पण पत्र प्राप्त कर उक्त भूमियों को बिलानाम दर्ज करने के बाद अवशेष रही भूमियों का किस्म, विधि एवं नियमानुसार क्रेता के नाम नामांतरकरण किये जाने का आदेश

दिया जाना चाहिये था, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया। वहीं रेस्पोंडेंट संख्या 1 तत्कालीन सरपंच द्वारा एक शपथ–पत्र दे दिया गया एवं दौराने बहस प्रस्तुत नामांतरकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन भूमि तत्कालीन सरपंच बाबू मोहम्मद के नाम दर्ज कर दी गयी। हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को मन–मकसूद, विधिविहिन एवं तथ्यों के विपरीत पाते हैं, अतएवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में विधिक जांच करवायें तथा मौके पर राजस्व अधिकारियों की टीम बनाकर भूमि की पूर्ण जांच करवाकर तथा भूमि पर सड़क, सार्वजनिक भवन, तालाब इत्यादि भूमि को अपवर्जित करते हुए उनके विधिक रूप से समर्पणनामा क्रेता से प्राप्त कर अवशेष भूमि यदि नियमानुसार विधिक रूप से क्रेता के नाम दर्ज किये जाने योग्य हो तो उक्त भूमि को रेस्पोंडेंट संख्या 1 क्रेता तत्कालीन पूर्व सरपंच के नाम दर्ज करने हेतु विचार करें।

13. उपरोक्त समग्र निर्देशों की पालना करने के निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.02.2022 को उपस्थित रहे।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर